[2008] 3 एस. सी. आर. 911

केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, टी. एन.

बनाम

मेसर्स विनयगा बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री लिमिटेड

(2006 की सिविल अपील संख्या 2833)

मार्च 4, 2008

(एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जे.)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985:

अध्याय 87 - उपशीर्षक 8702.10 - शुल्क भुगतान चेसिस पर मोटर कैब का निर्माण-वर्गीकरण का - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क का लगना - आकलन-निर्माता मोटर कैब्स के, उप शीर्षक 8702.90 चेसिस के वर्गीकरण पर निर्भर और मोटर कैब्स के लिए उसी वर्गीकरण का दावा करना - नौकरी कार्ड पर भी निर्भर करना-प्रतिपादित किया गया: जाँच की गई और दस्तावेजों से पता चला कि उप शीर्षक 8702.10 लागू था - इसके अलावा, शुल्क का भुगतान वाहन के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर निर्भर करेगा विचाराधीन प्रासंगिक कारक बैठने की क्षमता है जिसके लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया था और चेसिस के निर्माता की राय नहीं-इसी तरह नौकरी के आधार पर निर्धारिती का रुख सही ढंग से अस्वीकार किया गया-

राजस्व द्वारा मोटर कैब्स का सही ढंग से उप शीर्षक 8702.10 के तहत वर्गीकृत किया गया- केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944- धारा 11 - ए- केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 - आर. 4 (1)।

प्रत्यर्थी शुल्क भुगतान चेसिस पर मोटर कैब्स के निर्माण में लगा था, जिसकी बैठने की क्षमता **12** यात्री व **1** चालक है। चेसिस के उत्पादकों ने अपने चालानों में अपनी सामग्री को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, **1985** के अध्याय के **87** के उप शीर्षक **8706.29** के अंतर्गत रखा है। राजस्व ने मोटर कैब्स का उप शीर्षक **8702.10** में वर्गीकरण किया है तथा प्रत्यर्थी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, **1944** की धारा **11-**ए सपठित नियम **4 - (1),** केन्द्रीय उत्पाद नियम **1944** के संदर्भ में, निर्धारित दर पर जुर्माने के साथ **01.03.2003** से **30.09.2023** की अवधि के लिए एक प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के भुगतान करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी ने अपील दर्ज करते हुए तर्क दिया कि मोटर गाड़ियों का जिसका उसके द्वारा निर्माण किया गया है उप शीर्षक **8702.90** में वर्गीकरण किया गया, जैसा कि निर्माताओं के चालान में दर्शाया गया है और जारी किए गए नौकरी कार्डाें से भी दर्शित होता है कि आदेश गाड़ी में सोलह सीटों से ज्यादा के निर्माण के लिए था। अपीलीय प्राधिकरण ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया परन्तु सीमा शुल्क आबकारी और सेवा कर अपीलीय अधिकरण ने मांग को खारिज कर दिया।

राजस्व द्वारा दर्ज तत्काल अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया कि चेसिस के निर्माताओं के द्वारा जारी किया गया चालान के आधार पर अधिकरण से माल का उप शीर्षक **8702.90** में वर्गीकरण में भूल हुई है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने प्रतिपादित किया :

1.1 विचाराधीन अवधि के दौरान प्रत्यर्थी-निर्धारिती के द्वारा **87** मैक्सी कैब्स का निर्माण किया गया था। उक्त वाहनों की सीटों की संख्या के संदर्भ में जांच की गई जिससे पता चलता है कि निर्धारिती ने **12+1** की बैठने की क्षमता के साथ मेक्सी कैब्स का निर्माण किया था, ना कि **16+1** की। विभिन्न ग्राहकों से राजस्व द्वारा भी दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किए गए। अतः उप शीर्षक **8702.10** लागू होगा। **(**पेरा **15,18) (918-**बी, सी, ई**)**

1.2 उप शीर्षक **8702.10** छ व्यक्तियों से ज्यादा के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए वाहन के लिए है। लेकिन चालक को छोड़कर **12** व्यक्तियों से ज्यादा के लिए नह” ीं” । यह भी मोटर वाहन अधिनियम है। **(**पेरा **19) (918-**एफ, जी**)**

1.3 यह निष्कर्ष कि चालक को छोड़कर **12** व्यक्तियों के लिए बैठने की क्षमता के साथ प्रत्यर्थी द्वारा उपयोगकर्ता, मेक्सी कैब्स के लिए निकायों का निर्माण किया गया, तथ्य की खोज है। केवल इसलिए कि चेसिस के निर्माताओं ने उक्त माल का वर्गीकरण उप शीर्षक **8702.90** के तहत किया गया है, समान ही प्रत्यर्थी द्वारा किए गए स्वतंत्र निर्माण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए निर्णायक नहीं है। अच्छे और पर्याप्त कारणों से नौकरी कार्ड के संदर्भ में निर्धारिणी की ओर से उठाया गया दावा खारिज कर दिया गया। **(**पेरा **19) (918-**जी, एच**; 919-**ए**)**

1.4 शुल्क की देयता के संबंध में प्रश्न इसके अलावा प्रश्नगत वाहन के संदर्भ में पंजीकरण प्रमाण पत्र पर निर्भर करेगा। यह मोटर वाहन अधिनियम, **1988** के प्रावधानों के तहत दिया गया वैधानिक दस्तावेज है। इस तरह का प्रमाण पत्र परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन के निरीक्षण पर जारी किया जाता है। उप-शीर्षक **8706.29,** के तहत वर्गीकृत चेसिस पर अपने ग्राहकों द्वारा दिए गए आदेशों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, निर्माता एक बॉडी बना सकता है। किसी मामले में यह सोलह की बैठने की

क्षमता का हो सकता है। लेकिन यह कुछ अन्य मामलों में इससे अधिक या कम हो सकती है। इसलिए, जो प्रासंगिक है वह है बैठने की क्षमता जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और चेसिस के निर्माता की राय नहीं। **[** पैरा **19] [919-**बी, सी, डी**]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राािधिकार : सिविल अपील सं. 2833/2006

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई, अपील सं। ई/616/2005 के निर्णय व अंतिम आदेश सं. 1313/2005 दिनांक 22/9/2005 से।

मोहन परासरन, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, कृष्ण कुमार और बी. कृष्ण प्रसाद, अपीलार्थी की ओर से।

एस. नंद कुमार, सतीश कुमार, एस. आनंद कृष्ण राज और वी. एन. रघुपति, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. के द्वारा दिया गया

1. प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित मोटर कैब्स का वर्गीकरण का प्रश्न इस अपील शामिल है, जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई, अपील सं. ई/616/2005 के निर्णय और आदेश दिनांकित 22-09-2005 से उत्पन्न हुआ है।

2. प्रत्यर्थी शुल्क भुगतान चेसिस पर निकाय के निर्माण में लगा है। निर्विवाद रूप से, यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में "अधिनियम") के अध्याय 87 के नोट 3 में निर्माण करने के अर्थ में आता है। जो निम्नलिखित शब्दों में हैः

> "3. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, एक निकाय का निर्माण या संरचनाओं या उपकरणों का निर्माण या स्थापना या फिटिंग चेसिस पर उपकरण शीर्षक संख्या 87.06 के तहत मोटर वाहन के 'निर्माता' माना जाता है।"

3. अपनी विनिर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी ने टाटा मोटर्स लिमिटेड से शुल्क भुगतान वाली चेसिस खरीदी। जिन कैब्स के निकाय निर्माण की गतिविधि प्रत्यर्थी द्वारा की जा रही है, उसकी बैठने की क्षमता 12 + 1 (यानी 12 यात्री और एक चालक) है।

4. निर्विवाद रूप से, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा बनाया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मोटर कारों और मल्टी यूटिलिटी पर एक प्रतिशत शुल्क लगाने के लिए प्रस्ताव किया गया था।

5. चेसिस के निर्माताओं ने अपने चालान में उक्त माल को उप-शीर्षक 8706.29 के तहत रखा था।

हालांकि, अपीलकर्ता ने उक्त मोटर कैब को उप-शीर्ष 8702.90 के तहत वर्गीकृत किया है, जिसे 01.03.2003 से 30.09.2003 की अवधि के लिए एक प्रतिशत पर

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) के भुगतान के लिए निर्दिष्ट किया गया है। माना कि उक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

6. एक कारण बताने का नोटिस प्रत्यर्थी को जारी किया गया था जिसमें उसे यह कारण बताना था कि छः से अधिक व बारह से कम, चालक की सीट को छोड़कर, की क्षमता वाले मोटर वाहनों पर एन.सी.सी.डी. के लिए एक प्रतिशत की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 ए सपठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 4(1) के अनुसार उनसे 4,42,823 /- रुपये की राशि, जुर्माना व ब्याज के साथ, की वसूली उनसे क्यों नहीं की जानी चाहिए। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त नोटिस में कारण दर्शाया गया।

7. 29.11.2004 दिनांकित एक आदेश द्वारा, मूल्यांकन प्राधिकरण ने 4,42,823/- रुपये की राशि की मांग की पुष्टि की। 5000/- रूपये की राशि का जुर्माना निर्धारित दर पर लगाया गया था। इसके अलावा निर्देश दिया कि उक्त शुल्क की राशि पर ब्याज देय होगा।

8. प्रत्यर्थी द्वारा इसके खिलाफ एक अपील दायर की गई थी यह तर्क देते हुए कि उनके द्वारा जारी किए गए नौकरी कार्ड इंगित करते हैं कि टैक्सी में 16 से अधिक सीटों के निर्माण के लिए ऑर्डर दिए गए थे और इस प्रकार उनके द्वारा निर्मित 'माल' को उप-शीर्षक 8702.90 के तहत वर्गीकृत किया जाए जहां पर NCCD देय नहीं था।

उक्त तर्क को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.04.2005 के संदर्भ में यह प्रतिपादित करते हुए खारिज कर दिया गया था,

> "व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए नौकरी कार्ड के साक्ष्य पर उनके द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह नई याचिका के रूप में नए सबूत है जो निचली प्राधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया था, जो इस स्तर पर मानी नहीं जा सकती जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहरवार इंजीनियर वर्क्स बनाम यू. ओ. आई. 2002 (143) ई. एल. टी. 34 (एस. सी.) की रिपोर्ट में। इसके अलावा कृष्णा स्टील इंडस्ट्रीज बनाम सी. सी. ई. पटना, 2004 (172) ई. एल. टी. 305 की रिपोर्ट में प्राधिकरण या न्यायाधिकरण, उसी पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त निर्णय के अनुपात को लागू करते हुए, मैं अपीलार्थी द्वारा पहली बार प्रस्तुत की गई यह नई याचिका/साक्ष्य याचिकाकर्ता को अस्वीकार करता हूं।"

10.3 यह स्वीकार किए बिना भी मान लिया जाए कि यह जॉब कार्ड ताजा सबूत है, सी.ई.टी.ए. 1985 में उक्त वाहनों के वर्गीकरण के मामले में इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि शीर्षक संख्या 87.02 और 87.03 को राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा 12+1 व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाईन किए गए यात्री परिवहन के आधार पर, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के आधार पर संरेखित किया गया है, जैसा कि पेरा 8 के सुप्रा में चर्चा की गई।

9. जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दर्ज अपील को यह कहते हुए अनुमति दी गई है

> "3. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित वाहनों की बैठने की क्षमता 12 से अधिक थी। अतः वाहन केवल एसएच 8702.90 के तहत वर्गीकृत था। अपीलार्थियों द्वारा उपयोग किए गए चेसिस (मेसर्स टाटा मोटर्स से) मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के चालान के माध्यम से एस. एच. 8706.29 के तहत उसके निर्माता द्वारा वर्गीकृत किया गया था। शुल्क प्रविष्टि (8706.29) भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसमे आने वाला चेसिस एसएच 8702.90 के वाहन के लिए है। इसलिए अपीलार्थियों के उत्पाद को एसएच 8702.10 के तहत वर्गीकृत करने का कोई सवाल ही नहीं है और मांग की कि एन.सी.सी.डी. को अपास्त कर दिया जाए। अपील स्वीकार की गई।"

10. श्री मोहन परासरन, विद्वान अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित, यह प्रस्तुत करेंगे कि अधिकरण ने विवादित निर्णय जहां तक कि इससे केवल चेसिस के निर्माता द्वारा जारी किए गए चालान या उसके आधार पर, मुददे का निर्धारण करने के लिए बढ़ा गया, को पारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है, जो कानून में अस्वीकार्य है।

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. नंदा कुमार ने कहा कि केवल चेसिस के निर्माता ही नहीं, यहां तक कि प्रत्यर्थी द्वारा पेश नौकरी कार्ड भी स्पष्ट रूप से दर्शित करते हैं कि एन.सी.सी.डी. देय नहीं था।

12. वर्ष 2003 में लागू अधिनियम का अध्याय 87 "रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण के अलावा अन्य वाहन" के शीर्षक को शामिल करता है। उप-शीर्षकों 8702.10, 8702.90 और 8706.29 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है, इसके अंतर्गतः

शीर्षक संख्या	उप शीर्षक संख्या	माल का विवरण	शुल्क की दर
87.02	8702.10	मोटर वाहन, मुख्य रूप से सेशन वैगन सहित, चालक को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाईन किया गया।	16%
	8702.90	मोटर वाहन मुख्य रूप से स्टेशन वैगन सहित, चालक को छोड़कर, छः से अधिक व्यक्तियों के लिए, लेकिन बारह से अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाईन किया गया।	16%

		अन्य।	
87.06	8706.29	इंजन से सुसज्जित चैसिस, शीर्षक सं. 87.01 से 87.05 के मोटर वाहनों के लिए। उप शीर्षक 8702.90 के वाहनों के लिए।	16% **+** 10,000/- रूपये प्रति चेसिस

13. "मैक्सी कैब" को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 (22) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ हैः

> “(22) "मैक्सी कैब" का अर्थ है कोई मोटर वाहन जिसे छह से अधिक यात्रियों लेकिन बारह से अधिक नहीं, चालक को छोड़कर, किराए पर या इनाम के लिए, को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकुलित किया गया है।"

14. निर्विवाद रूप से, चेसिस का निकाय निर्माण, निर्माण ही होता है। यह शीर्षक 87.06 के अंतर्गत आता है। अतः सवाल जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या एक मैक्सी कैब को संबंधित शुल्क शीर्षों, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के 87.02 से 87.05 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या अध्याय शीर्षक 87.07 के तहत।

15. निर्विवाद रूप से शीर्षक 8702.10,8703.90 और 8704.90 के तहत आने वाली वस्तुओं पर फिर से एन. सी. सी. डी. की एक प्रतिशत की छूट की दर से लागू किया गया था।

कथित रूप से विचाराधीन अवधि के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा 87 मैक्सी कैब्स का निर्माण किया गया। उक्त वाहन की सीटों की संख्या के संदर्भ में जांच की गई। प्रत्यर्थी के दो अधिकारियों, एस. बालमुरुगन और पी. वी. सुब्बाराज के बयान दर्ज किए गए। जिससे यह दर्शित हुआ कि प्रत्यर्थी ने 12+1 की बैठने की क्षमता के साथ मैक्सी कैब्स बनाई है न कि 16+1 की। विभिन्न ग्राहकों से राजस्व द्वारा भी दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए गए।

16. प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि एन. सी. सी. डी. का भुगतान मोटर वाहनों के मालिकों द्वारा दी गई चेसिस पर किया जाता है और राजस्व का इरादा चेसिस के निर्माताओं से इसे एकत्र करना था न कि स्वतंत्र निकाय बिल्डर से।

17. प्रत्यर्थी के उक्त तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित मैक्सी कैब की बैठने की क्षमता केवल 12+1 है।

18. अतः उपशीर्षक 8702.10 लागू होगा।

19. निस्संदेह उप-शीर्षक 8702.90 अवशिष्ट के लिए प्रावधान है जबकि उप-शीर्षक 8706.29, उपशीर्षक 8702.90 के अंतर्गत वाहनों को संदर्भित करता है। उप शीर्षक 8702.01 छह से अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए वाहन

के लिए निर्दिष्ट करता है, लेकिन चालक को छोड़कर बारह से अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए नहीं। यह भी मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अर्थ के भीतर एक 'कैब' है।

अच्छे और पर्याप्त कारणों से, हमारी राय में, प्रत्यर्थी द्वारा तैयार नौकरी कार्य के संदर्भ में प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए विवाद को अस्वीकार कर दिया गया था।

यह निष्कर्ष कि चालक को छोड़कर 12 व्यक्तियों के लिए बैठने की क्षमता के साथ प्रत्यर्थी द्वारा उपयोगकर्ता, मेक्सी कैब्स के लिए निकायों का निर्माण किया गया, तथ्य की खोज है। केवल इसलिए कि चेसिस के निर्माताओं ने उक्त माल का वर्गीकरण उप शीर्षक 8702.90 के तहत किया गया है, समान ही प्रत्यर्थी द्वारा किए गए स्वतंत्र निर्माण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए निर्णायक नहीं है।

शुल्क की देयता के संबंध में प्रश्न इसके अलावा प्रश्नगत वाहन के संदर्भ में पंजीकरण प्रमाण पत्र पर निर्भर करेगा। यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दिया गया वैधानिक दस्तावेज है। इस तरह का प्रमाण पत्र परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन के निरीक्षण पर जारी किया जाता है। उप-शीर्षक 8706.29, के तहत वर्गीकृत चेसिस पर अपने ग्राहकों द्वारा दिए गए आदेशों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, निर्माता एक बॉडी बना सकता है। किसी मामले में यह सोलह की बैठने की क्षमता का हो सकता है। लेकिन यह कुछ अन्य मामलों में इससे अधिक या कम हो

सकती है। इसलिए, जो प्रासंगिक है वह है बैठने की क्षमता जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और चेसिस के निर्माता की राय नहीं।

20. उपरोक्त कारणों से आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार अपास्त कर दिया जाता है।

21. अपील स्वीकार की गई। हालांकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.पी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पृथा फौजदार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।